राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

आधुनिक भारत के नवनिर्माण में संविधान की महती भूमिका–राज्यपाल

पटना, 26 नवम्बर 2019

''भारतीय संविधान' की महत्ता किसी भी पावन भारतीय धार्मिक ग्रंथ से किसी मायने में कम नहीं है। आधुनिक भारत के नव–निर्माण में अगर सर्वाधिक योगदान किसी एक ग्रंथ का रहा है तो वह हमारा 'भारतीय संविधान' है। यह एक ऐसा पावन और व्यापक प्रभाव छोड़नेवाला ग्रंथ है, जिसे हम अनुपम 'मर्यादा ग्रंथ' भी कह सकते हैं।''–उक्त उद्‌गार, महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान ने राजभवन में दूसरी बार आयोजित ''संविधान दिवस समारोह'' को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

महामहिम राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान का सर्वोत्तम अंश इसकी 'प्रस्तावना' है, जो इसका प्राण–तत्त्व है। किसी भी वैदिक ऋचा, किसी भी धर्मग्रंथ के मंत्र, श्लोक, सूक्ति, कथन या उपदेश से ज्यादा अनुकरणीय एवं मनन करने योग्य भारतीय संविधान की' प्रस्तावना' है।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान के सृजन में बिहार राज्य की भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान रचने में बिहार के कई दिग्गज विचारकों और विद्वानों का अप्रतिम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों में से बिहार के लगभग दो दर्जन से अधिक लोग शामिल थे। इसमें डॉ॰ सच्चिदानन्द सिन्हा एवं डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

महामहिम ने कहा कि न्यायपालिका संविधान के संरक्षण और उसके नियमों, प्रावधानों आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराती है। सभी विद्वान न्यायाधीशगण इस संविधान के आलोक में ही अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। भारत की गरीब आम जनता को सस्ता और सर्वसुलभ न्याय–व्यवस्था उपलब्ध कराना विचारणीय बिन्दु है। इस दिशा में कई सार्थक कदम उठाये गये हैं और आगे भी गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। राज्यपाल ने उक्त समारोह में शामिल होनेवाले सभी प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए सम्पूर्ण बिहारवासियों सहित देशवासियों को भी अपनी शुभकामनाएँ प्रदान की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल ने कहा कि नागरिकों का विश्वास यहाँ की संस्थाओं के प्रति रहने के कारण यह देश तथा यहाँ का संविधान महान है। संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना है तथा बिहार जैसे राज्य में नागरिकों को न्याय पाने के लिए सबसे आवश्यक कदम Access to Justice 'न्याय तक पहुँच' को उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि स्कूली पाठ्यक्रम में नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों जैसे स्वच्छता इत्यादि को भी शामिल किया जाये। उन्होंने डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर की उन पंक्तियों को उद्धृत किया कि ''कोई भी संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों नही हो, यह खराब हो जायेगा अगर इस पर कार्य करने वाले लोग अच्छे नहीं हो। इसी प्रकार कोई भी संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, यह अच्छा हो जायेगा अगर इस पर कार्य करने वाले लोग अच्छे हों।''

समारोह में माननीय बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी, बिहार विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति श्री हारून रशीद, माननीय लोकायुक्तगण, राज्य के विधि मंत्री श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, पटना उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता, बिहार, श्री ललित किशोर, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री विधुभूषण पाठक सहित राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी भी उपस्थित थे। महामहिम राज्यपाल ने 'संविधान दिवस' के सुअवसर पर माननीय अतिथियों को 'स्मृति–चिह्न' भेंट कर सम्मानित भी किया।

.....